بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسول الله و على ازواجه و اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين

तआरुफ़ कुरआन-ओ-हदीस और फ़िक्ह

हदीस का मतलब और मफ्हूम: लुगवी एतबार से लफ्ज़ हदीस का मतलब है "किसी चीज का नया और जदीद होना।" उसकी जमाअ खिलाफे कयास "आहादीस" कहलाती हैं। जबकि इस्तिलाही तौर पर हदीस की तारीफ यह है: (كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ) "हर वह कौल, फेअल, तकरीर या सिफ़त जो नबी करीम ﷺ की तरफ मन्सूब हो।"

हदीस की अहमियत व हुज्जियत: 1 कुरआन की तरह हदीस भी वहीह है। इरशाद-ए-बारी तआला कि ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾﴾ (सुरहतुल नज्म आयत 3 और 4) "आप ﷺ अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते बल्कि वह तो वहीह है जो आप ﷺ पर भेजी जाती है।" एक रिवायत में यह फरमाने नबवी है कि ﴿أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ "खबरदार मुझे कुरआन और उसकी मिस्ल एक और चीज (यानी हदीस) भी दी गई।" (सहीह : सहीह जामेअ अस्सगीर:2643)

2 इताअत-ए-इलाही के साथ इताअत-ए-रसूल ﷺ का भी हुक्म है। इरशाद-ए-बारी तआला है कि ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (सुरह मुहम्मद आयात:33) "ऐ ईमान वालों अल्लाह और रसूल की इताअत करो और(इनमें से किसी की नाफरमानी करके)अपने आमाल बर्बाद मत करो।"

3 हदीस के बगैर कुरआनी अहकाम को समझना नामुमकिन है क्योंकि हदीस कुरआन की मुफस्सिर है जैसा कि कुरआन में नमाज़, ज़कात और हज्ज की अदायगी का हुक्म तो मौजूद है मगर नमाज़ की तादाद-ए- रकाअत, ज़कात का निसाब और हज का तरीका कार वगैरह मौजूद नहीं बल्कि यह तफ्सील सिर्फ हदीस में है।

4 हदीस कुछ ऐसे अहकाम भी बयान करती है जिन से कुरआन ने सुकूत इख्तियार किया है मिसाल के तौर पर और उसकी खाला या फुफी को एक निकाह में जमा करने की हुर्मत वगैरह।

5 इताअत-ए-रसूल हुब्बे रसूल का लाज़मी तकाज़ा है और हुब्बे रसूल के बगैर इन्सान का ईमान ही मुकम्मल नहीं। चुनाँचे फरमाने नबवी ﷺ है कि

﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

"उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से कोई भी उस वक्त तक मौमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊँ।" (अबु दाऊद(4604) किताबुसुन्नाह बाब फि लजौम सुन्नाह)

6 इताअत-ए-रसूल ही जरीआ-ए-हिदायत है। इरशाद ए बारी तआला है (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) (सुरहतुल नूर :आयत 54) "और अगर तुम इस रसूल ﷺ की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे।"

7 अस्र-ए-हाजिर के एक नामवर स्कालर **प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह** ने फ्रांस की एक लायब्रेरी से हमाम बिन मुनब्बा (शागिर्द-ए-रशीद हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه का वह सहीफा (मख्तुते की सूरत में) दर्याफ्त करके छपवाया है जिसे हदीस का पहला तहरीरी मजमुआ कहा जा सकता है। हुज्जियते हदीस और रद्दे फित्ना इन्कार-ए-हदीस के लिये यह सहीफा ही काफी है।

किताबत-ए-हदीस: हदीसों की किताबत का सिलसिला दौरे नबवी में आप ﷺ के हुक्म से शुरू हो गया था जैसा कि फतह-ए-मक्का के मौके पर आप ﷺ ने सहाबा किराम से फरमाया था कि "अबू शाह को (आहादीस) लिखकर दो।" (1) इसी तरह एक रिवायत में है कि हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه फरमाया करते थे, मुझे अस्हाब-ए-रसूल में सबसे ज्यादा (आहादीस) याद हैं सिवाय अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه के क्योंकि वह आहादीस लिख लिया करते थे और मैं नहीं लिखता था। (2) एक और रिवायत में है कि आप ﷺ ने फरमाया आहादीस लिख लिया करो क्योंकि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! इन दोनों होटों से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता।" (3) एक फरमाने नबवी यूँ है कि "इल्म को लिख कर महफूज कर लिया करो।" (4) इसके अलावा जिन रिवायतों में किताबते हदीस से मुमानिअत मनकूल है (5) उनका मफ्हूम यह है कि शुरू में इस खदशे के पेशे नजर किताबते हदीस से मना किया गया था कि कहीं कुरआन और हदीस में इख्तलात ना हो जाए और जब यह खदशा खत्म हो गया तो किताबत-ए-हदीस की इजाज़त दे गई और इस तरह किताबत ए हदीस से मना का हुक्म मन्सूख हो गया।

---

(1) सहीह: अबू दाऊद(2017) बाब तेहरिमी हरम मक्का, त्रिमिज़ी (2667)

(2) सहीह: त्रिमिज़ी (2668)

(3) सहीह: जामिया सगीर (1196), सिल्सिलातुल सहिहा (1532), अबू दाऊद(3646)

(4) सहीह: जामिया सगीर (4434), सिल्सिलातुल सहिहा (2026)

(5) सहीह: जामिया सगीर (7434)

हदीस की पहली मुदव्वन किताब: हदीस की पहली मुदव्वन व मुरत्तब किताब मुअत्ता बताई जाती है, यह फिक्ही तर्तीब पर मुशतमिल है। मोअत्ता अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है "ऐसा रास्ता जिस पर कसरत के साथ लोग चले हों।" मुराद है वह तरीकास्-ए-कुस्तकीम जिसे मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ और सहाबा-ए-किराम رضی اللہ عنہم के बाद सलफ सालिहीन, दीन के इमामों और अकाबिर उलमा-ए-मिल्लत ने अपनाया। अहले इल्म ने कहा है कि यह किताब 140 हि० के करीब तर्तीब दी गई। इस में सहाबा व ताबईन के अक्वाल मिलाकर कुल 1720 रिवायत हैं, जिनमें मरफूअ हदीसें 600, मुर्सल रिवायतें 222, मौकूफ रिवायतें 613 और ताबईन के अक्वाल 285 हैं। मुखतलिफ अदवार में मुखतलिफ इलाकों में इसकी शुरूहात व तआलीकात लिखी गईं, जिनमें इमाम इब्ने अब्दुल बर्र की अत्तमहीद और अलइस्तिजकार, इमाम सुयूती की तन्वीरूल हवालिक, इमाम जुर्कानी की अल मुन्तका और शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहल्वी की अल मुसफ्फा (फार्सी में) और अल मुसव्वा (अरबी में) काबिले जिक्र हैं।

इसके मुरत्तिब इमाम मालिक हैं जिनका पूरा नाम "मालिक बिन अनस बिन आमिर बिन मालिक" और लकब "इमाम दारूल हिजरह' है। आप 93 हि० में मदीना में पैदा हुए और 179 हि० में मदीना मे ही फौत हुए। आप को अल्लाह ताला ने कमाल हाफिजा अता फरमाया था, आप अपने उस्तादों से जो हदीस एक बार सुन लेते फिर वह कभी न भूलते। आप तक्वा व परहेजगारी मे भी ऊँचे मर्तबे के मालिक थे।तरतीब अल मदारिक मे है कि आप मशगले तालीम और तालीम के के बाद हर वक्त अल्लाह की इबादत और तिलावत-ए-कुरआन में ही मसरूफ रहते और बतौरे खास जुमे की रात तो सारी इबादत में ही गुजारते। हक गोई में इस कद्र बेबाक थे कि आपको उसकी खातिर हाकिमे वक्त की मुखालफत और उसकी तरफ से इज़ाऐं और सजाऐं तक बर्दाश्त करनी पड़ी मगर आपके पाया-ए-बेसबात में कहीं भी लर्जिश नहीं आई। गर्ज अल्लाह ताला ने आपको जिस अजीम मक्सद की तक्मील के लिये पैदा फरमाया था उसके लिये आपको इस जैसी अजीम सिफात से भी मुत्तसिफ फरमा दिया था।

कुतुब-ए-सब्आ का मुख्तसर तआरुफ़:

कुतुब-ए-सबआ से मुराद है हदीस की **मशहूर सात किताबें-:** मुस्नद अहमद, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबूदाऊद, जामे तिर्मिजी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा। मुस्नद अहमद के अलावा बाकी छह किताबों को **सिहाहे सित्ता** कहते हैं। इन कुतुबाक मुख्तसर तआरुफ़ हस्बे जेल है।

1. मुस्नद अहमद:

तालीफ: अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल शैबानी मरोजी, बगदादी- (विलादत 164 हि० (बगदाद), वफात:241 हि० (बगदाद)

तादाद-ए-अहादीस: 27647 (यह तादाद उस मुस्नद अहमद की है जिसकी तहकीक शैख शुऐब अरनाउत की निगरानी में हाल ही में पूरी हुई और मुअस्सतुर्रिसालह ने उसे 50 जिल्दों में जेवरे तबाअत से आरास्ता किया है)।

खुसूसिय्यात: (1) इसमे हर सहाबी की रिवायतें अलग अलग जिक्र की गई हैं। (2) हदीसों का बहुत बड़ा जखीरा होने की वजह से लगभग हर मौजु से मुताल्लिका हदीसें उसमें मिल जाती हैं। (3) इसमें लगभग तीन सो सलासी रिवायतें हैं। (4) दीगर मसानीद से सहीह तर है।

2. सहीह बुखारी:

तालीफ: अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी । (विलादत: 194हि० (बुखारा), वफातः 256हि० (समरकन्द)

मुकम्मल नाम: अल जामे अस्सहीह अल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह ﷺ व सुननिही वअय्यामिही। एक रिवायत में यह नाम मजकूर है अल जामे अलमुस्नदुस्सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरि रसूलुल्लाहि ﷺ व सुननिही व अय्यामिही।

तादाद-ए-अहादीस: मौसूल मरफूअ रिवायातों की तादाद मुकर्ररात के साथ 7397 और मुकर्ररात के बगैर 2602 है (जैसा कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फरमाया है, अलबत्ता बैनुल अक्वामी नम्बरिंग के मुताबिक मुकर्ररात समेत 7563 तादाद है। इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीसों में से 16 साल के अर्से में इन रिवायतों का इन्तिखाब फरमाया और उन्हें तर्तीब दिया।)

खुसूसिय्यात: (1) इस किताब को कुरआन के बाद हदीस की सब से ज्यादा सहीह किताब होने का एजाज हासिल है। (2) इसकी सारी हदीसें सही हैं। (3) इसके तराजिम-ए-अबवाब के तर्जुमों में इमाम बखारी ने बहुत सारे फिक्ही मसलें बयान कर दिये हैं।(4) यह जामें किताब है यानी इसमें तक्रीबन जिन्दगी के हर शोबे (मिसाल के तौर पर अकाइद, अहकाम, सियर, तफ्सीर, फितन, मगाजी और मनाकिब वगैरह) से मुताल्लिक हदीसें यक्जा की गई हैं।

3.सहीह मुस्लिम

तालीफ: अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अलकुशैरी, नैशपूरी। (विलादत: 204हि० (नेशपूर), वफातः 261हि० (नेशपूर)

तादाद-ए-अहादीस: 3033 (मुहम्मद अब्दुल बाकी की नम्बरिंग के मुताबिक) और मुकर्ररात समेत 7563 (बैनुल अक्वामी नम्बरिंग के मुताबिक) इसके आलावा मुकर्ररात के बगैर 4000 और मुकर्ररात समेत 7275 भी तादाद बताई जाती है।

खुसूसिय्यात: (1) इस किताब को कुरआन के बाद हदीस की दूसरी सहीह तरीन किताब होने का एजाज हासिल है। (2) इसकी तमाम हदीसें सही हैं। (3) इसमें करीबुल माना और मिलती जुलती हदीसों को एक ही जगह पर यक्जा किया गया है। (4) नीज मिलती जुलती रिवायतों के मुख्तलिफ तरीक व असानीद और उनके अल्फाज के फर्क व इख्तिलाफ को भी निहायत तर्तीब व एहतियात से बयान किया गया है।

सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम को सहीहैन कहते हैं। अगरचे इन दोनों कुतुब की सारी रिवायतों के सहीह होने पर इत्तिफाक है लेकिन सहीह बुखारी को सहीह मुस्लिम पर तर्जीह दी गई है और इसकी चन्द वजहें यह हैं

1. इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की निस्बत इल्मे हदीस को ज्यादा जानते है इसलिये सही बुखारी को तर्जीह हासिल है।

2. इत्तिसाले सनद में इमाम मुस्लिम की निस्बत इमाम बुखारी की शर्तें सख्त हैं (इमाम बुखारी का कौल है कि रावी जिस से रिवायत करे के साथ कम से कम एक बार मुलाकात शर्त है, जब्कि इमाम मुस्लिम के यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं)।

3. सहीह बुखारी के रावी सहीह मुस्लिम के रावियों की निस्बत कम मजरूह हैं।

4. सहीह बुखारी में सहीह मुस्लिम की निस्बत शाज़ और मुअल्लत रिवायतें बहुत कम है।

5. इमाम बुखारी के सामने तस्नीफे हदीस का कोई नमूना नहीं था मगर इमाम मुस्लिम के सामने बुखारी का नमूना मौजूद था।

6. बुखारी की अक्सर हदीसें पहले तब्के से हैं जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं ।

7. इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इसलिये उस्ताद को बुजुर्गी हासिल है।

यहाँ यह बात भी याद रहे कि सहीहैन के अलावा दीगर कुतुब-ए-हदीस में सही के साथ साथ ज़ईफ रिवातें भी पाई जाती हैं।

4. सुनन अबू दाऊद:

तालीफ: अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअश अलजस्तानी। (विलादत: 202हि० (सजिस्तान), वफात: 275हि० (बस्रा)

तादाद-ए-अहादीस: 5274 (बैनुल अक्वामी नम्बरिंग के मुताबिक)।

खुसूसिय्यात: (1) यह किताब फिक्ही तर्तीब पर मुशतमिल है। (2) इस में इमाम अबू दाऊद ने तकरीबन हर बाब का उन्वान वही कायम किया है जो किसी इमाम ने इस से मसला इस्तिंबात किया है। (3) इमाम अबू दाऊद के कौल के मुताबिक इसमें सिर्फ सही या सही के मुशबा रिवायतों को जमा किया गया है (लेकिन हकीकत यह है कि इसमें जईफ रिवायतें भी मौजूद हैं)।

5. जामे तिर्मिजी:

तालीफ: अबू ईसा मुहम्मद ईसा अत्तिर्मिजी। (विलादत: 209 हि० (तिर्मिजी), वफात: 279 हि० (तिर्मिजी)

तादाद-ए-अहादीस: 3959 (बैनुल अक्वामी नम्बरिंग के मुताबिक)

खुसूसिय्यात: (1) यह किताब फिक्ही बातों पर मुरत्तब की गई है। (2) हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा (यानी सही, हसन, जईफ और गरीब बगैरह) भी बयान किया गया है । (3) अगर हदीस जईफ है तो उसकी वज्हे जुअफ भी वाजेह किया गया है। (4) इख्तिलाफी मसाइल मे सहाबा में सहाबा व ताबईन और उनमा व फुकहा के कौल भी नकल किये गये हैं। (5)सिर्फ एक ही सनद के साथ हदीस बयान करके दूसरी सनदों की तरफ सिर्फ इशारे पर इक्तिफा किया गया हैं

6.सुनन नसाई:

तालीफ: अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब अन्नसाई । (विलादत: 215 हि०(खुरासन के शहर निसा में), वफात: 303 हि० (मक्का)

तादाद-ए-अहादीस: 5761 (बैनुल अक्वामी(अंतराश्ट्रीय नम्बरिंग)के मुताबिक)

खुसूसिय्यात: (1) इमाम नसाई ने पहले अस्सुननुल कुब्रा मुरत्तब की, जिसमें सही व सकीम हर तरफ की रिवायतें मौजूद थीं। फिर उसका इख्तसार किया और (मुरत्ब कौल) सिर्फ सही अहादीस को अलग कर दिया (लेकिन हकीकत में इसमें अभी भी जईफ रिवायातें भी मौजूद हैं) और उसका नाम अस्सूननुसुगरा अल मुसम्मा बिही अल मुज्तबा रखा, बाद में सह किताब सुनन नसाई के नाम से मारूफ हो गई। (2)इस में सब से कम जईफ रिवायतें हैं। (3) अहले इल्म ने कहा है कि सुनन नसाई का दर्जा सहीहैन के बाद है।

7.सुनन इब्ने माजाः

तालीफ: अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यजीद इब्ने अल कजवैनी । (विलादतः 209हि०,वफातः273हि०)

तादाद-ए-अहादीस: 4341(अंतर्राश्ट्रीय नम्बरिंग के मुताबिक)।

खुसूसिय्यात: (1) इस में अक्सर वह हदीसें हैं जो दूसरी कुतुबे सिहाह में मौजूद नहीं । (2)इसमें मुकर्रर हदीसें नहीं हैं । (3) इसकी तर्तीब फिक्ही अब्वाब पर मुशतमिजल है।

हदीस की चन्द दीगर अहम किताबें:

1. सुनन दार्मी
2. सुनन दार कुतनी
3. सुनन सईद बिन मन्सूर
4. अस्सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई
5. अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहकी
6. शुऐबुल ईमान लिल बैहकी
7. दलाइलुन्नबुव्वह लिल बैहकी
8. मारफतुन सुनन वल असार लिल बैहकी
9. कश्फुल इस्तार लिल बज्जार
10. सहीह इब्नै खुजैमा
11. सहीह इब्ने हिब्बान
12. मुस्नद शाफई
13. मुस्नद अबू यआला
14. मुस्नद अब्द बिन हमीद
15. मुस्नद त्याल्सी
16. मुस्नद हुमैदी
17. मुस्नद अबी अवानाह
18. अल मोजमुल कबीर लित्तबरानी
19. अल मोजमुल औसत लित्तबरानी
20. अल मोजमुस्सगीर लित्तबरानी
21. मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक
22. मुसन्नफ इब्ने अबी शैबह
23. मुस्तर्दक लिल हाकिम
24. अल अदबुल मुफ़रद लिल बुखारी
25. अल इमाम इब्ने दकीकुल ईद
26. रियाजुस्सालिहीन लिन्नौवी
27. अत्तरगीब लिल मुन्जरी
28. सहीहुल जामे अस्सगीर लिल अलबानी
29. अस्स सिलसिलातुल-सहिहा लिल अलबानी
30. इरवाउल गलील लिल अलबानी

चन्द फिक्ही व हदीसी इस्तलाहात

1–	**इज्तिहाद**	शरअी अहकाम के इल्म की तलाश में एक मुजतहिद का अहकाम के बारे में शोध करने के तरीक़े से अपनी भरपूर मानसिक कोशिश करना इज्तिहाद कहलाता है।
2–	**इजमाअ**	इजमाअ से तात्पर्य नबी ﷺ की वफ़ात के बाद किसी ख़ास दौर में (उम्मत मुसलिमा के) तमाम मुजतहिदीन का किसी दलील के साथ किसी शरअी हुक्म पर सहमत हो जाना है।
3–	**इस्तिहसान**	कुरआन, सुन्नत या इजमाअ की किसी मज़बूत दलील की वजह से क़यास को छोड़ देना। इस के अलावा भी उस की विभिन्न परिभाषाएं की गई हैं।
4–	**इस्तिसहाब**	शरअी दलील न मिलने पर मुजतहिद का असल को पकड़ लेना इस्तिसहाब कहलाता है। स्पष्ट रहे कि तमाम लाभदायक चीज़ों में असल कराहत है और तमाम हानिकारक चीज़ों में असल हुरमत है।
5–	**असल**	उसूल का एक वचन है और उस के पांच मायनी हैं। 1– दलील 2– क़ाइदा 3– बुनियाद 4–राजेह बात 5– हालते मुस्तसहबा।
6–	**इमाम**	किसी भी फ़न का प्रख्यात आलिम जैसे फ़ने हदीस में इमाम बुख़ारी और फ़ने फ़िक़्ह में इमाम अबु हनीफ़ा।
7–	**आहाद**	ख़बरे वाहिद का बहुवचन है। इस से तात्पर्य ऐसी हदीस है जिस के रावियों की संख्या मुतवातिर हदीस के रावियों से कम हो।
8–	**आसार**	ऐसे कथन और कार्य जो सहाबा किराम और ताबअी की तरफ़ मंक़ूल हों।
9–	**अतराफ़**	वह किताब जिस में हर हदीस का ऐसा हिस्सा लिखा गया हो जो बाक़ी हदीस पर विवेचन करता हो जैसे तोहफ़तुल अशराफ़ लेखक इमाम मज़ी आदि।

10–	अजज़ा	अजज़ा (अंश) का बहुवचन है। और यह उस छोटी किताब को कहते है। जिस में एक ख़ास विषय से संबंधित बिल इस्तिआबे अहादीस जमा करने की कोशिश की गई हो जैसे जुज़ए रफ़अ यदैन लेखक इमाम बुख़ारी आदि।
11–	अरबईन	हदीस की वह किताब जिस में किसी भी विषय से संबंधित चालीस अहादीस हों।
12–	बाब	किताब का वह हिस्सा जिस में एक ही प्रकार से संबंधित मसाइल बयान किए गए हों।
13–	तआरुज़	एक ही मसला में दो विपरीत अहादीस का जमा हो जाना तआरुज़ कहलाता है।
14–	तरजीह	आपसी विपरीत दलीलों में से किसी एक को अमल के लिए ज़्यादा मुनासिब क़रार दे देना तरजीह कहलाता है।
15–	जाइज़	ऐसा शरअी हुक्म जिस के करने और छोड़ने में इख़्तियार हो। मबाह और हलाल भी उसी को कहते हैं।
16–	जामेअ	हदीस की वह किताब जिस में मुकम्मल इस्लामी मालूमात जैसे अक़ाइद, इबादात, मामलात, तफ़सीर, सीरत, मनाक़िब, फ़ितन और कियामत के हालात आदि सब जमा कर दिया गया हो।
17–	हदीस	ऐसा कथन, काम और तक़रीर जिस की निसबत रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ की गई हो। सुन्नत की भी यही परिभाषा है। याद रहे कि तक़रीर से तात्पर्य आप ﷺ की तरफ़ से किसी काम की इजाज़त है।
18–	हसन	जिस हदीस के रावी हाफ़िज़े के हिसाब से सहीह हदीस के रावियों से कम दर्जे के हों।
19–	हराम	शारेअ़ अलैहिस्सलाम ने जिस काम से अनिवार्य रूप से बचने का हुक्म दिया हो और उस के करने में गुनाह हो जबकि उस से बचने में सवाब हो।
20–	ख़बर	ख़बर के बारे में तीन कथन हैं। 1–ख़बर हदीस का ही दूसरा नाम है। 2– हदीस वह है जो नबी ﷺ से मंक़ूल हो और ख़बर वह है जो किसी और से मंक़ूल हो। 3– ख़बर हदीस से आम है अर्थात उस रिवायत को भी कहते हैं जो नबी ﷺ से मंक़ूल हो और उस को भी कहते हैं जो किसी और से मंक़ूल हो।
21–	राजेह	ऐसी राय जो दूसरे की रायों की तुलना में ज़्यादा सहीह और हक़ के क़रीब हो।
22–	सुनन	हदीस की वे किताबें जिन में केवल अहकाम की अहादीस जमा की गई हों जैसे सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा और सुनन अबी दाऊद आदि।
23–	सद्दुज़्ज़राय	उन मुबाह कामों से रोक देना कि जिन के ज़रिए ऐसी वर्जित चीज़ के करने का स्पष्ट ख़तरा हो जो बिगाड़ व ख़राबी पर आधारित हो।
24–	शरीअत	क़ुरआन व सुन्नत की सूरत में अल्लाह तआला के निर्धारित किए हुए अहकामात।
25–	शारेअ़	शरीअत बनाने वाला अर्थात अल्लाह तआला और सर्वथ रूप से अल्लाह के रसूल ﷺ पर भी इस का चरितार्थ किया जाता है।
26–	शाज़	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस में एक सिक़ह रावी ने अपने से ज़्यादा सिक़ह रावियों का विरोध किया हो।

27–	**सहीह**	जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो और उस के तमाम रावी सिक़ह, ईमानदार और मज़बूत सम्रण शक्ति के मालिक हों। और उस हदीस में ज़रा सी कमी और कोई ख़ुफ़िया ख़राबी भी न हो।
28–	**सहीहीन**	सहीह अहादीस की दो किताबें अर्थात सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम।
29–	**सिहाह सित्ता**	प्रख्यात हदीस की छः किताबें अर्थात बुख़ारी, मुस्लिम, अबु दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा।
30–	**ज़ईफ़**	ऐसी हदीस जिस में न तो सहीह हदीस की विशेषता पाई जाएं और न ही हसन हदीस की।
31–	**उर्फ़**	उर्फ़ से तात्पर्य ऐसा कथन या कार्य है जिस से समाज परिचित हो, उस का आदी हो, या उस का उन में रिवाज हो।
32–	**इल्लत**	इल्म फ़िक़ह में इल्लत से तात्पर्य वह चीज़ है जिसे शारेअ अलैहिस्सलाम ने किसी हुक्म के आस्तित्व और अनस्तित्व में निशानी निर्धारित की हो जैसे नशा हुरमते शराब की इल्लत है।
33–	**इल्लत**	इल्म हदीस में इल्लत से तात्पर्य ऐसा ख़ुफ़िया कारण है जो हदीस की सेहत को हानि पहुंचाता हो और उसे केवल फ़ने हदीस के माहिर उलमा ही समझते हों।
34–	**फ़िक़ह**	ऐसा इल्म जिस में उन शरअी अहकाम से बहस होती हो जिन का संबंध अमल से है और जिन को विस्तृत दलीलों से हासिल किया जाता है।
35–	**फ़क़ीह**	इल्मे फ़िक़ह जानने वाला बहुत समझदार व्यक्ति।
36–	**फ़स्ल**	अध्याय का ऐसा हिस्सा जिस में एक ख़ास विषय से संबंधित मसाइल मौजूद हों।
37–	**फ़र्ज़**	शारेअ अलैहिस्सलाम ने जिस काम को अनिवार्य रूप से करने का हुक्म दिया हो और उसे करने पर सवाब और न करने पर गुनाह हो जैसे नमाज़, रोज़ा आदि।
38–	**क़यास**	क़यास यह है कि फ़रअ (ऐसा मसला जिस के बारे में किताब व सुन्नत में हुक्म मौजूद न हो) को हुक्म में असल (ऐसा हुक्म जो किताब व सुन्नत में मौजूद हो) के साथ इस वजह से मिला लेना कि उन दोनों के बीच इल्लत समान है।
39–	**किताब**	किताब मुस्तक़िल हैसियत वाले मसाइल के संग्रह को कहते हैं, चाहे वह कई क़िस्म पर आधारित हो या न हो जैसे किताबुत्तहारत आदि।
40–	**मुसतहब**	ऐसा काम जिसे करने में सवाब हो जबकि उसे छोड़ने में गुनाह न हो जैसे मिसवाक आदि। याद रहे कि इल्म फ़िक़ह में मन्दूब, नफ़िल और सुन्नत इसी को कहते हैं।
41–	**मकरूह**	जिस काम को न करना उसे करने से बेहतर हो और उस से बचने पर सवाब हो जबकि उसे करने पर गुनाह न हो जैसे अधिकता से सवाल करना आदि।
42–	**मुजतहिद**	जिस व्यक्ति में इजतिहाद का तत्व मौजूद हो अर्थात उस में फ़िक़ही मूलस्थान से शरीअत के व्यवहारिक अहकाम निष्कर्ष निकालने की पूरी कुदरत मौजूद हो।
43–	**मसालेह मुरसला**	यह ऐसी मसलिहत है कि जिस के बारे में शारेअ अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी दलील न मिलती हो जो उसके विश्वसनीय होने या उसे बेकार करने पर दलालत करती हो।

44-	**मुवक्कफ़**	किसी मसला में किसी विद्वान की व्यक्तिगत राय जिसे उस ने दलीलों के ज़रिए इख़्तियार किया हो।
45-	**मसलक**	इस की भी वही परिभाषा है जो मुवक्कफ़ की है लेकिन यह शब्द विभिन्न मकातिबे फ़िक्र का प्रतिनिधि के लिए प्रख्यात हो चुका हो जैसे हन्फ़ी मसलक आदि।
46-	**मज़हब**	शाब्दिक रूप से इस की भी वही परिभाषा है जो मसलक की है लेकिन अवाम में यह शब्द दीन (जैसे मज़हब ईसाइयत आदि) और समुदाय (जैसे हन्फ़ी मज़हब आदि) के लिए भी इस्तेमाल होता है।
47-	**मराजेअ़**	वे किताबें जिन से किसी किताब की तय्यारी में मदद ली गयी हो।
48-	**मुतवातिर**	वह हदीस जिसे बयान करने वाले रावियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि उन सब का झूट पर जमा हो जाना बौद्धिक रूप से कठिन हो।
49-	**मरफ़ूअ़**	जिस हदीस को नबी ﷺ की तरफ़ मंसूब किया गया हो चाहे उस की सनद मुत्तसिल हो या न।
50-	**मौक़ूफ़**	जिस हदीस को सहाबी की तरफ़ मंसूब किया गया हो चाहे उस की सनद मुत्तसिल हो या न हो।
51-	**मक़तूअ़**	जिस हदीस को ताबई या उस से कम दर्जे के किसी व्यक्ति की तरफ़ मंसूब किया गया हो चाहे उस की सनद मुत्तसिल हो या न हो।
52-	**मौज़ूअ़**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस में कोई मनगढ़ंत ख़बर को रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ मंसूब किया गया हो।
53-	**मुरसल**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस में कोई ताबई सहाबी के वास्ते के बिना रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करे।
54-	**मुअल्लक़**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस में सनद के शुरू से एक या सारे रावी साक़ित हों।
55-	**माअ़ज़ल**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस की सनद के बीच से इकट्ठे दो या दो से ज़्यादा रावी साक़ित हों।
56-	**मुंक़तअ़**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस की सनद किसी भी वजह से मुंक़तअ़ हो अर्थात मुत्तसिल न हो।
57-	**मतरूक**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिस के किसी रावी पर झूठ का आरोप हो।

58–	**मुंकर**	ज़ईफ़ हदीस की वह क़िस्म जिसका कोई रावी फ़ासिक़, बिदअती, बहुत अधिक ग़लतियां करने वाला या बहुत ज़्यादा ग़फ़लत बरतने वाला हो।
59–	**मुसनद**	हदीस की वह किताब जिस में हर सहाबी की अहादीस को अलग अलग जमा किया गया हो जैसे मुसनदे शाफ़ई आदि।
60–	**मुसतदरक**	ऐसी किताब जिस में किसी मुहद्दिस की शर्तों के मुताबिक़ उन अहादीस को जमा किया गया हो जिन्हें उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में नक़ल नहीं किया जैसे मुसतदरक हाकिम आदि।
61–	**मुसतख़रज**	ऐसी किताब जिस में लेखक ने किसी दूसरी किताब की अहादीस को अपनी सनद से रिवायत किया हो जैसे मुसतख़रज अबु नईमुल इसबहानी आदित।
62–	**मोअजम**	ऐसी किताब जिस में लेखक ने अपने अध्यापकों के नामों की तरतीब से अहादीस जमा की हों जैसे मोअजम कबीर लेखक तबरानी आदि।
63–	**नसख़**	बाद में अवतरित होने वाली दलील के ज़रिए पहले अवतरित हुए हुक्म को ख़त्म कर देना नसख़ कहलाता है।
64–	**वाजिब**	वाजिब की परिभाशा वही है जो फ़र्ज़ की है जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक इन दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं। अलबत्ता हन्फ़ी फ़ुक़हा इस में कुछ फ़र्क़ करते हैं।
65	अल ऐतबार	किसी हदीस के लिये कुतुबे हदीस से मुताबे और शाहिद तलाश करना।
66	अल इजाजह	शैख का अपने शार्गिद को अपनी बाज या कुल मरवियात रिवायत करने की इजाजत देना
67	**ताबे**	वह रावी जो किसी ऐसे रावी के मुवाफिकक रिवायत करे जिसके मुताल्लिक तफर्रुद का गुमान किया गया था इस शर्त के साथ कि उन दोनों की रिवायत एक ही सहाबी से हो। इस मुवाफ्कत को मुताबिअत कहते हैं
68	ताबई	ऐसा शख्स जो हालते इस्लाम में किसी सहाबी–ए–रसूल ﷺ से मिला हो और फिर हालते इस्लाम में ही फौत हूवा हो।
69	तादील	किसी रावी की वह खूबियाँ बयान करना जो उसकी हदीस कुबूल करने का मोजब हों।
70	अल जमा बैनुल अहादीस	वो बाहम मुतार्रिज अहादीस से ऐसा मफ्हूम मुराद लेना जिससे दोनों पर अमल मुमकिन हो जाए।
71	जरह	किसी रावी की वह कमजोरी बयान करना जो उसकी रिवायत रद्द करने का मोजब हों।
72	हदीसे कुदसी	वह फरमाने रसूल जिसकी निस्बत आप ﷺ ने अल्लाह ताला की तरफ की हो।
73	अर्रिवायह बिल माना	किसी हदीस के सुने हुए अलफाज के बजाए उसका माना अपने अलफाज में बयान कर देना। जम्हूर इमामों के नज्दीक सह सिर्फ उस वक्त जायज है जब रावी साहिबे–फहम हो और अलफाज की तब्दीली से माने पर कोई असर ना हो

74	सनद	रावियों का वह सिसिला जो मतन जा पहुंचाए।
75	अस्सिमाअ मिन लफ्जिस्शैख	उस्ताद के मुंह से हदीस सुनना।
76	सहाबी	हर ऐसा शख्स जिसने हालते इस्लाम में रसूलुल्लाह ﷺ से मुलाकात की हो और फिर हालते इस्लाम में ही वफात पाए।
77	अल आली वन्नाजिल	अगर एक हदीस की दो सनदों में एक सनद के वास्ते दूसरी सनद की निस्बत कम हों तो कम वास्तों वाली सनद को अल आली और ज्यादा वास्तों वाली सनद को अन्नाजिल कहते हैं।
78	फुकहा-ए-सब्आ	अहले मदीना के यह सात मुराद हैं। सईद बिन मुसय्यिब, कासिम बिन मुहम्मद,उर्वा बिन जुबैर, खारजा बिन जैद, अबू सल्मा बिन अब्दुर्रहमान, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा और सुलैमान बिन यसार।
79	अल किराअत अलस्शैख	शार्गिद का उस्ताद के सामने हदीस पढ़ना
80	मर्फू-ए-कौली	सहाबी या कोई और यूँ हदीस बयान करे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया।
81	मर्फू–ए–फैली	सहाबी या और कोई यूँ बयान करे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस तरह किया
82	मर्फू-ए-तक्रीरी	सहाबी या और कोई यूँ कहे कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की मौजूदगी में यह काम किया और आप ने कुछ ना कहा।
83	मर्फू-ए-वस्फी	सहाबी या कोई और रसूलुल्लाह ﷺ का कोइ वस्फ बयान करे।
84	मुख्ज़रम	ऐसा शख्स जिसने दौरे जाहिलियत भी पाया हो और इस्लाम का जमाना भी लेकिन कुबूले इस्लाम के बाद जियारते रसूल से महरूम रहा हो।
86	मेहकम	जिस हदीस के मुआरिज ना कोई आयत हो और ना कोई हदीस।
87	मतन	कलाम का वह हिस्सा जो सनद खतम होने के बाद शुरू हो।
88	अल मुकातबह	शैख का अपने शार्गिद की तरफ लिख कर भेजना।
89	अल मुनावल	शैख का अपने शार्गिद को किताब देना।
90	अल विजादह	शैख की तहरीर की हुई हदीसों को पालेना चाहे किताबी शक्ल में हों या किसी और सूरत में।

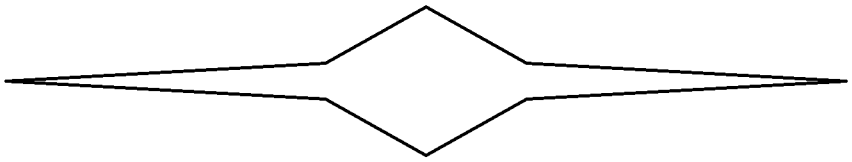

मुख़्तसर इस्तिलाहात-ए-हदीस

हदीस

रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान **"कौली हदीस"** आप ﷺ का अमल **"फ़ैली हदीस"** और आप ﷺ की इजाज़त **"तकरीरी हदीस"** कहलाती है.

मरफ़ूअ

जिस हदीस में सहाबी रसूलुल्लाह ﷺ का नाम लेकर हदीस बयान करे "मरफ़ूअ" कहलाती है

मौकूफ़

जिस हदीस में सहाबी रसूलुल्लाह ﷺ का नाम लिए बगैर हदीस बयान करे या अपने ख़याल का इज़हार करे "मौकूफ़ कहलाती है

आहाद

जिस हदीस में रावी तादाद में मुतवातिर हदीस के रवियो से कम हो "आहाद" कहलाती है आहाद की 3 किस्में हैं

मुतवातिर

जिस हदीस के रावी हर ज़माने में इतने हो की उनका झूठ पर इक्कठे होना मुमकिन नहीं हो "मुतवातिर" कहलाती है.

मकबूल

जिस हदीस में रावियो की दियानत और सच्चाई तस्लीम हो **"मकबूल"** कहलाती है.

ग़ैरमक़बूल

जिस हदीस में रावियो की दियानत और सच्चाई मुश्तबा हो "ग़ैरमकबूल" कहलाती है.

सहीह

जिस हदीस के रावी सिका, परहेज़गार और काबिले ऐतबार हफिज़ा के मालिक हो और सनद मुतअसल हो "सहीह" कहलाती है.

हसन

जिस हदीस के रावी सहीह हदीस के रावियो की निस्बत हाफ़िज़े में कम हो, बाकी शराइत वही हो "हसन" कहलाती है.

दर्जा 1
जिस को बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो, मुताफिक़ अलैय

दर्जा 2
जिस को सिर्फ बुखारी ने रिवायत किया हो |

दर्जा 3
जिस को सिर्फ मुस्लिम ने रिवायत किया हो |

दर्जा 4
जिस को बुखारी और मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ किसी दूसरे मुहद्दिस ने रिवायत किया हो

दर्जा 5
जिस को सिर्फ बुखारी की शराइत के मुताबिक़ किसी दूसरे मुहद्दिस ने रिवायत किया हो

दर्जा 6
जिस को सिर्फ मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ किसी दूसरे मुहद्दिस ने रिवायत किया हो

दर्जा 7
जिस को सिर्फ मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ किसी दूसरे मुहद्दिस ने सहीह समझा हो

ज़ईफ़

मुअलक
जिस हदीस का एक या सारे रावी इब्तिदा-ए-सनद से मुन्क्तअ हो "मुअलक" कहलाती है |

मुन्क्तअ
जिस हदीस का एक या सारे रावी मुख्तलिफ़ मकामात से मुन्क्तअ हो "मुन्क्तअ" कहलाती है |

मुरसल
जिस हदीस का रावी आखिर सनद से सकित हो यानि ताबाई के बाद सहाबी का नाम नहीं हो "मुरसल" कहलाती है.

मुअज़ल:
जिस हदीस के दो या दो से ज़्यादा रावी इक्कठे सनद के दरमियान से मुन्क्तअ हो "मुअज़ल" कहलाती है.

मौज़ू
जिस हदीस के रावी का हदीस के मामले में झूठ बोलना साबित हो "मौज़ू" कहलाती है

मतरूक
जिस हदीस के रावी पर झूठ की तोहमत लगे,लेकिन हदीस के मामले में झूठ साबित नहीं हो "मतरूक" कहलाती है.

शाज़
एक सिका रावी अपने से ज़्यादा सिका रावी या ज़ाबता की मुखालफत करे "शाज़" कहलाती है.

मुनकर
जिस हदीस का रावी वाहमी या फ़ासिक़ या बिद्दती हो "मुनकर" कहलाती है.

इस्तिलाहत-ए-कुतुब

1. **सिहाह सित्ता** : हदीस कि छह कुतुब **1.**बुखारी **2.** मुस्लिम **3.** अबूदाऊद **4.** तिर्मिज़ी **5.** नसाई और **6.** इब्ने माजअ को ग़लबा-ए-सेहत कि बिना पर सिहाह सित्ता कहा जाता है .

2. **जामेअ** : जिस हदीस की किताब में इस्लाम के मुतालिक तमाम मबाहिस , अक़ाइद , अहकाम , तफसीर , जन्नत , दोज़ख वगैरह मौजूद हो , "जामेअ" कहलाती है.

3. **सुनन** : जिस किताब में सिर्फ अहकाम के मुतालिक अहादीस जमअ कि गयी हो "सुनन" कहलाती है. मसलन "सुनन अबूदाऊद" .

4. **मुसनद** : जिस किताब में तरतीबवार हर सहाबी की अहादीस यक जा करदी गयी हो "मुसनद" कहलाती है. मसलन "मुसनद अहमद"

5. **मुस्तख़रज** : जिस किताब में एक किताब कि अहादीस किसी दूसरी सनद से रिवायत कि जाये "मुस्तखरज" कहलाती है. मसलन "मुस्तखरज अलइस्माईल अलबुखारी"

6. **मुस्तदरक** : जिस किताब में एक मुहद्दिस कि क़ायम करदा शराइत के मुताबिक़ वो हदीस जमअ की जाये , जो उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में दर्ज नहीं की हो | मसलन "मुस्तदरक हाकिम'

7. **अरबाईन** : जिस किताब में चालीस अहादीस जमअ कि गयी हो "अरबाईन" कहलाती है. मसलन "अरबाईन नववी"

- **मशहूर** : जिस हदीस के रावी हर जमाने में दो से ज़्यादा रहे हो "मशहूर " कहलाती है.
- **अज़ीज़** : जिस के रावी किसी ज़माने में कम से कम दो रहे हो "अज़ीज़" कहलाती है.
- **ग़रीब** : जिस हदीस के रावी किसी ज़माने में एक रहा हो "ग़रीब" कहलाती है.

कसरत के साथ रिवायत करने वाले सहाबा رضي الله عنهم

नाम	अबू हुरैरह 78 साल	अब्दुल्लाह बिन उमर 86 साल	अनस बिन मालिक 102 साल	आयशा 65 साल	जबिर बिन अब्दुल्लाह 95 साल	अब्दुल्लाह बिन अब्बास 71 साल	अबूसईद ख़ुदरी
तदादे रिवायात	5374 59 हि०	2630 74 हि०	2286 93 हि०	2210 58 हि०	1540 74 हि०	1160 68 हि०	1100 74 हि०

कसरत के साथ रिवायत करने वाले ताबईन رحمهم الله

आमिर शैबा	शैबा बिन हज्जाज	अता बिन अबी रबह	इकरमा मौला इब्ने अब्बास	सईद बिन ज़ुबैर	सईद बिन मुसय्यब	हसन बसरी

अइम्मा-ए-अर्बआ और अस्हाब सिहाहे सित्ता رحمهم الله

नाम	पैदाइश व वफात	चन्द मशहूर उस्ताद	चन्द मशहूर शार्गिद
✧अबू हनीफा नौमान बिन साबित	80 हि० / 150 हि०	हम्माद बिन अबी सुलैमान, अता बिन अबी रिबाह	क़ाजी अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन हसन अल शैबानी
✧मलिक बिन अनस अबू अब्दुल्लाह	93 हि० / 179 हि०	नाफे मौला इब्ने उमर, कुतुन बिन वहब	मुहम्मद बिन इद्रीस अल शाफई, अब्दुल्लाह बिन वहब
✧ शाफई मुहम्मद बिन इद्रीस अबू अब्दुल्लाह	150 हि० / 204 हि०	मालिक बिन अनस, मुहम्मद बिन हसन अल शैबानी	अहमद बिन हम्बल, अबू उबैद बिन कासिम बिन सलाम
✧ अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल अबू अब्दुल्लाह	164 हि० / 241 हि०	मुहम्मद बिन इद्रीस अल शाफई, अबू दाऊद अत्तियालसी	बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद
✧ बुखारी महुम्मद बिन इस्माईल	194 हि० / 256 हि०	अहमद बिन हंबल, अली बिन अल मदनी, यहया बिन मुईन	तिर्मिज़ी, मुस्लिम अबू जर्आ राजी, अबू हातिमा राजी
✧मुस्लिम बिन अहलज्ज अल कुशैरी अबुल हुसैन	204 हि० / 261 हि०	अहमद बिन हंबल, बुखारी, यहया बिन मुईन	तिर्मिजी, अब्दुर्रहमान बिन अबू हातिम
✧ इब्ने माजा मुहम्मद बिन यजीद अल कजवीनी अबू अब्दुल्लाह	209 हि० / 273 हि०	अबूबक्र इब्ने अबी शैबह, इब्राहीम बिन मुन्जुर, अबू जर्आ	इब्राहीम बिन दीनार, जाफर बिन इद्रीस
✧ अबूदाऊद सुलैमान बिन अशअश अल सजिस्तानी	000 हि० / 275 हि०	अबूबक्र इब्ने अबी शैबह	खलादर अम्हुर्मुजी
✧ तिर्मिजी मुहम्मद बिन ईसा अबू ईसा	000 हि० / 279हि०	बुखारी, मुस्लिम, कुतैबा बिन सईद, इब्राहीम अलहवी	हम्माद बिन शाकिर अलवराक, हुसैन बिन यूसुफ अल फर्बरी
✧नसाई अहमद बिन शुऐब अबूअब्दुर्रहमान	215 हि० / 303हि०	सिराजुद्दीन बल्कैनी, शर्फुद्दीन मनावी	अबू जाफर तहावी, अबू जाफर इब्नुन्नुहास

कुतुब सिहाहे सित्ता की रिवायतों की तादाद

सहीह बुखारी	सहीह मुस्लिम	जामे तिर्मिजी	सुनन अबू दाऊद	सुनन नसाई	सुनन इब्ने माजा
7397 (मुकर्ररात के साथ) 2602 (बगैर मुकर्ररात के) हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी के मुताबिक	7563 (मुकर्ररात के साथ) 3033 (बगैरमुकर्ररात के) फुआद अब्दुल बाकी के मुताबिक	3956 (अंतर्राष्ट्रीय नम्बरिंग) सहीह रिवायतें 3101 ज़ईफ रिवायतें 832 शैख अलबानी के मुताबिक	5274 (अंतर्राष्ट्रीय नम्बरिंग) सहीह रिवायते 4393 ज़ईफ रिवायतें 1127 शैख अलबानी के मुताबिक	5761 (अंतर्राष्ट्रीय नम्बरींग) सहीह रिवायतें 5214 ज़ईफ रिवायतें 447 शैख अलबानी के मुताबिक	4341 (अंतर्राष्ट्रीय नम्बरिगं) सहीह रिवायतें 3503 ज़ईफ रिवायतें 948 शैख अलबानी के मुताबिक

दीन व शरीअत सिर्फ क़िताब व सुन्नत का नाम है। रसूल करीम ﷺ के अलावा दुनिया में कोई शख्यिस ऐसी नहीं जिसकी हर बात तस्लीम की जा सकती हो । सहाबा-ए-किराम رضی اللہ عنہم इमाम व मुहद्दिसीन इजाम ने भी हिदायत के इसी चश्में से फैज पाया । आम तौर से यह उज्र पेश किया जाता है कि किताब व सुन्नत को बराहे सुन्नत समझना हर एक के बस की बात नहीं ----यह बात दुरूस्त नहीं । हमारे लिए किताब व सुन्नत का समझना बहुत आसान है क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम ﷺ को हमारे लिये खास तौर पर मुअल्लिम (Teacher) बना कर भेजा, सहाबा-ए-किराम رضی اللہ عنہم ने आप ﷺ से मुकम्मल दीन सीखा और उसे हम तक पहुंचाने का हक अदा किया । सहाबा-ए-किराम رضی اللہ عنہم की तरह चारों इमामों ने भी सिर्फ इत्तबा-ए-सुन्नत ही का रास्ता इख्तियार करने की दावत दी।

इत्तबा-ए-सुन्नत की अहमियत चारों इमामों के अक्वाल व इर्शादात की रौशनी में मुलाहिजा कीजिएः

1 इमाम अबू हनीफा رحمہ اللہ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

इजा सहहल हदीसु फ़हुवा मजहबी

"जब हदीस सहीह है तो वही मेरा मजहब है"। (रद्दुल मुख्तार हाशिया दुर्रूल मुख्तार जिल्द:1 सफ्हा 68)

किसी के लिये यह हलाल नहीं कि वह हमारे कौल के मुताबिक फत्वा दे ,जब तक उसे यह मालूम ना हो कि हमारे कौल का माखज क्या है?

आप से पूछा गया कि जब आपकी बात अल्लाह के खिलाफ हो? फरमाया: किताबुल्लाह के सामने मेरी बात छोड़ दो । कहा गया: जब आपकी बात हदीस रसूल ﷺ के खिलाफ हो। फरमाया: हदीस के रसूल सामने मेरी बाद छोड़ हो। कहा गया जब बात कौले सहाबा के खिलाफ हो? फरमाया: कौले सहाबा के सामने मेरी बात छोड़ दो । (ऐकाज हिमम उलिल अब्सार। सफ्हा 50)

(जन्म: 80 हि० मकामे पैदाइश: कूफा, मस्नद इल्मी: कूफा , वफात: 150 हि० मदफन: खबजुराँ)

2 इमाम मालिक رحمہ اللہ

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ
إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ

लैसा अहदु बअदन्नबिय्य ﷺ इल्ला व यूखजु मिन कौलिही व युतरकु इल्लन्नबिय्यु ﷺ

"सरवरे कायनात ﷺ के सिवा बाकी हर इन्सान की बात को कुबूल भी किया जा सकता है और रद्द भी।"

(इर्शादुस्सालिक लिइब्ने अब्दुल हादी। जिल्द:1 सफ्हा:227)

मैं एक इन्सान हूँ , मेरी बात गलत भी हो सकती है और सही भी, इसलिये मेरी राय को देख लिया करो। जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, उस ले लो और जो किताब सुन्नत के मुताबिक न हो उसे छोड़ दो ।

(ऐकाज हिमम उलिल अब्सार -सफ्हा:72)

जन्म: 93 हि० पैदाइश की जगह: मदीना मुनव्वरा, मुस्नद इल्मी: मदीना मुनव्वरा, वफात: 179 मदफन: बकीअ (मदीना मुनव्वरा)

3 इमाम शफई رحمہ اللہ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ خِلَافَ قَوْلِي
فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاتْرُكُوا قَوْلِي

इजा सहहल हदीसु खिलाफ कौली, फामलू बिलहादीसि वतरकू कौली

"जब मेरी किसी बात के मुकाबले में हदीस सहीह साबित हो तो हदीस पर अमल करो और मेरी बात का छोड़ दो।"

(अल जुमू शरह अल मुहज्जब लिन्नौवी जिल्द: 1 सफ्हा: 104)

जब तुम मेरी किसी भी किताब में कोई बात रसूलल्लाह ﷺ की सुन्नत के खिलाफ पाओ तो सुन्नत इख्तियार कर लो और मेरी बात को छोड़ दों (हवालिहा ऐजन) मेरी किसी बात के खिलाफ रसूलुल्लाह ﷺ की सहीह हदीस साबित हो तो हदीस का मकाम ज्यादा है और मेरी तक्लीद ना करो ।

(आदाबुस्शाफई व मनाकिबहू लिइब्ने हातिम अल राजी सफ्हा:93)

जन्म: 150 हि०, मकामे पैदाइश: गजा (फिलिस्तीन), मस्नदे इल्मी: मक्का मुकर्रमा/मिस्र, वफात: 204 हि०, मदफन:(सऊदी अरब)

4 इमाम अहमद बिन हम्बल رحمہ اللہ

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ
وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

ला तुकल्लिदनी वला तुकल्लिद मालिकंव्वला शफई वला औजाई वला सौरी व खुज मिन हैसु अखजू

"ना मेरी तक्लीद करो और ना मालिक, शफई, औजाई और सौरी (जैसे इमामों) की तक्लीद करो। बल्कि जहाँ से उन्होंने दीन लिया है तुम भी वहाँ (यानी किताब व सुन्नत) से दीन हासिल करो"।

(ऐकाज हिमम उलिल अब्सार। सफ्हा: 113)

दीन के मामले में लोगों की तक्लीद करना इन्सान की कम फहमी की अलामत है।

(ऐलामुल मोकईन लिइब्नुल कय्यिम शरह:2 सफ्हा: 178) जन्म:164 हि०, मकामे पैदाइश: बगदाद, मस्नदे इल्मीः बगदाद, वफात: 241 हि०

गुजारिश! अल्लाह ताला ने 10 हिजरी को हज्जतुल विदा के मौके पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया। तक्मीले दीन के 70 साल के बाद इमाम अबू हनीफा, 83 साल बाद इमाम मालिक, 140 साल के बाद इमाम शफई और 154 साल के बाद इमाम अहमद बिन हंबल पैदा हुए। आलमे इस्लाम की अज़ीम मर्तबे वाली इल्मी शख्सियत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहल्वी رحمہ اللہ फरमाते हैं: दीन मुकम्मल होने के 400 साल बाद तक अहले इस्लाम किसी एक फ़िक्ह या एक मसले के पैरोकार नहीं थे।" (हुज्जतुल्लाहिल बालिगह जिल्द: 1 सफ्हा:152) अगर आज हम किसी इमाम, मस्लक या फिर्के वाबस्तगी के बगैर मुसलमान नहीं बन सकते तो चोथी सदी हिज्री से पहले के मुसलमानों को क्या कहेंगे, लम्हा-ए-फिक्रिया! चारों इमामों के वाजेह इर्शादात के बाद उनकी तक्लीद और उनके नामों से मौसूम फिर्कों की क्या हकीकत रह जाती है?

आइये! हम भी इसी सर चष्मा-ए-रूश्द व हिदायत से बराहे रास्त दीन हासिल करें जिस से सहाबा-ए-किराम رضی اللہ عنہم चारों इमाम رحمہ اللہ और मुहद्दिसीने इजाम ने दीन हासिल किया कि यही उनकी तालीमात का तकाज़ा है ।